

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
पीठासीन अधिकारी :- हरिसिंह लम्बोरा, आर.ए.एस
राजस्व वाद संख्या :- 27 / 2009

वादी

कालुराम पुत्र श्री मोतीराम
जाति जाट निवासी खारिया
मीठापुर तहसील बिलाड़ा
जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. चन्द्राराम पुत्र श्री भंवरलाल
2. सुजाराम पुत्र श्री भंवरलाल
3. चेनाराम पुत्र श्री भंवरलाल
4. पुरखाराम पुत्र श्री भंवरलाल
5. चिमनाराम पुत्र श्री भंवरलाल
6. शान्तिदेवी पत्नी श्री सांवलराम
7. किशनाराम पुत्र श्री सांवलराम
8. ढगलीबाई पत्नी सांवलराम
जातियान जाट निवासीगण
खारिया मीठापुर तहसील
बिलाड़ा, जिला जोधपुर

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

निर्णय

दिनांक :- 15.03.2017

पत्रावली आज बमुकाम बिलाड़ा प्रस्तुत हुयी। आवाज दिलायी गयी। वादी स्वयं अथवा वादी की ओर से उसके अधिवक्ता उपस्थित नहीं। बार-बार आवाजे दिलायी गयी मगर वादी व उसके अधिवक्ता उपस्थित नहीं आया। अतः वादीया का वाद अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसलशुमार व नम्बर से कम होकर दाखिल दफ़तर हो। निर्णय सरै इजलास सुनाया गया।

(हरिसिंह लम्बोरा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा